संख्या–1858/सेक–2–पांच–17–7(67)/2017

प्रेषक,

प्रशांत त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 2017

विषयः–पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति पुनर्योजन तथा साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के चिकित्सालयों के बाह्य एवं अन्तः रोगी विभाग में रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जबकि उसके सापेक्ष, चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। ''सबका साथ सबका विकास'' राज्य सरकार का अभीष्ट है, परन्तु चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने के कारण जन सामान्य को चिकित्सा सुविधा सुलभ कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

2– उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर किये जाने हेतु प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में निम्नवत् व्यवस्था की जाती हैः–

(1) पुनर्योजन के माध्यम से सेवानिवृत्त चिकित्सकों का चयन

शासनादेश संख्या–157/सेक–2–पांच–14–7(255)/2013, दिनांक 13.01.2014 द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 1000 निःसंवर्गीय पदों का सृजन करते हुए सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 13.01.2014 द्वारा सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पुनर्योजन हेतु सृजित 1000 निःसंवर्गीय पदों में से 500 पद सेवानिवृत्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए तथा 500 पद सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारियों के लिए आवंटित किया जाता है, जिस हेतु चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया तथा नियुक्ति की शर्तें व प्रतिबन्ध निम्नवत् हैंः–

(अ) पुनर्योजन पर नियुक्ति की प्रक्रिया

(1) प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सक का पुनर्योजन एक समिति गठित कर किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगाः–

(क) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें – अध्यक्ष
(ख) निदेशक(चिकित्सा उपचार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें – सदस्य
(ग) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित एक विशेष सचिव– सदस्य

(2) उपरोक्त समिति द्वारा फिलहाल एक वर्ष के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पुनर्योजन पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेंगी, जिसे 02 वर्ष की सीमा तक नवीनीकरण (renewable) किया जा सकेगा। सेवानिवृत्त चिकित्सकों का पुनर्योजन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.1983 सपठित शासनादेश दिनांक 25.11.1988 एवं शासनादेश दिनांक 27.09.1997 में दी गयी शर्तों के

.....2

अधीन, नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा एक वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए किया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि वर्षानुवर्ष गुण—दोष एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर 65 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के नियमित चयन के उपरान्त, उपर्युक्तानुसार सृजित निःसंवर्गीय पद स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा संबंधित चिकित्सक की पुनर्नियुक्ति भी स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह पुनर्योजन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में सभी अधिकार उपरोक्त समिति में निहित होंगे।

(3) सम्बन्धित सेवानिवृत्त चिकित्सक को पुनर्योजन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा सेवा काल में प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर विचार किया जायेगा तथा उक्त समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित चिकित्सक की सामान्य ख्याति अच्छी हो तथा उनके द्वारा अपने सेवाकाल में उत्कृष्ट सेवायें प्रदान की गयी हों।

(ब) पुनर्योजन के आधार पर चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

(1) पुनर्योजन के उपरान्त चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन के पदों का निर्धारण जनपदवार महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा, परन्तु पुनर्योजन के कुल पदों की संख्या—500 से अधिक नही होंगी। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार जनपदवार रिक्तियों की सूचना तैयार करेंगे एवं उन रिक्तियों को व्यापक परिचालन वाले कम से कम 01 अंग्रेजी व 02 हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेंगे।

(3) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं देय होगा।

(4) पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा, जो पुनर्योजित कार्मिक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो) घटाने के फलस्वरूप आये। पुनर्योजन की अवधि में शुद्ध वेतन+शुद्ध पेंशन के योग पर महगांई भत्ता अनुमन्य होगा, किन्तु पुनर्योजन की अवधि में पेंशन पर पृथक से महंगाई राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(5) पुनर्योजित चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—2, भाग—2 से 4 के सहायक नियम—157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(6) पुनर्योजन की अवधि में चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम—16—ए में प्राविधानित है।

(7) पुनर्योजन पर नियुक्त चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(8) जनपदवार पुनर्योजित चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(9) पुनर्योजन पर तैनात चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के

.....3

अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

(2) चिकित्सकों की नियुक्ति साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर किया जाना

प्रदेश में विशेषज्ञ एवं एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के संवर्गीय रिक्त पदों के सापेक्ष पहले 1000 पदों पर एम0बी0बी0एस0/विशेषज्ञ डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार (Walk In Interview) के माध्यम से करते हुए तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु अपनायी जाने वाली चयन प्रकिया एवं अनुबन्ध पर नियुक्ति की शर्तें एवं प्रतिबन्ध तथा मानदेय निम्नानुसार हैं:–

(अ) अनुबन्ध पर नियुक्ति की प्रकिया–

(1) साक्षात्कार के माध्यम से अनुबन्ध पर चिकित्सकों की नियुक्ति महानिदेशक स्तर पर इस हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा:–

(1) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा इनके द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा नामित प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अनिम्न स्तर)	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा नामित अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का एक–एक प्रतिनिधि (अपर निदेशक स्तर)।	सदस्य

चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार हेतु महानिदेशक के स्तर पर एक या एक से अधिक समिति का गठन मा0 विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा। सुविधानुसार राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थानों पर भी साक्षात्कार की प्रकिया की जा सकेगी।

(ब) चयन प्रकिया

साक्षात्कार **(Walk In Interview)** द्वारा चयन किये जाने हेतु सर्वप्रथम महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के स्तर पर नामित नोडल आफीसर, जो निदेशक स्तर से अनिम्न हो, के स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालयों से रिक्तियों की सूचना प्राप्त करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार आरक्षण की गणना करते हुए प्रत्येक सोमवार को ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। इसी प्रकार चिकित्सकों के विज्ञापित पदों हेतु उपरोक्त वर्णित चयन समिति द्वारा प्रत्येक मंगलवार को एम0बी0बी0एस0 योग्यता धारक अभ्यर्थियों का एवं प्रत्येक वृहस्पतिवार को विशेषज्ञ योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। साक्षात्कार के ही दिन सायंकाल तक अभ्यर्थी को संविदा आधारित नियुक्ति–पत्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

(स) चयन का मानदण्ड

चयन का मापदण्ड 'एम0बी0बी0एस0' में प्राप्त अंक होगा। चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् उपयुक्तता के आधार पर आरक्षण वार पृथक–पृथक "श्रेष्ठता" सूची तैयार की जायेगी तथा उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष चयन करके उन्हें तैनाती प्रदान करते हुए अवशेष को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। संविदा के आधार पर महानिदेशक एवं चयनित चिकित्सक के बीच अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध 01 वर्ष

.....4

का होगा, जो परफार्मेन्स के आधार पर अधिकतम् 02 वर्ष तक नवीनीकरण (renewable) होगा।

(द) अनुबन्ध पर चिकित्सकों के पदों पर तैनाती की शर्तें एवं प्रतिबन्ध

(1) अनुबन्धित चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। अनुबन्धन की अवधि में उन्हें संवर्गीय पदनाम नहीं दिया जायेगा। अनुबन्धित चिकित्सकों को परामर्शी कहा जायेगा।

(2) अनुबन्ध हेतु पदों का जनपदवार निर्धारण महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जायेगा, परन्तु अनुबन्ध के कुल पदों की संख्या–1000 से अधिक नहीं होगी। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग इस प्रकार जनपदवार रिक्तियों की सूचना तैयार करेंगे एवं इन रिक्तियों को आन लाइन तथा व्यापक परिचालन वाले कम से कम 01 अंग्रेजी व 02 हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित करायेंगे।

(3) अनुबन्ध पर नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने पर यात्रा भत्ता देय होगा लेकिन संविदा अनुबन्ध के अनुसार उसकी सेवा समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(4) अनुबन्ध पर तैनात एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक को दिया जाने वाला मानदेय चिकित्सा इकाईयों की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगाः–

क्रमांक	श्रेणी	एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक का मासिक मानदेय	विशेषज्ञ चिकित्सक का मासिक मानदेय
1	ए	50,000	80,000
2	बी	55,000	90,000
3	सी	60,000	1,00,000
4	डी	65,000	1,20,000

उक्त चारों श्रेणियों का विभाजन प्रस्तावित विभागीय स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा।

(5) अनुबन्ध पर चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति नियमित चिकित्साधिकारियों से पद भरे जाने अथवा दो वर्ष की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए किया जायेगा।

(6) मानदेय पर नियुक्त किये गये इन चिकित्सकों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय कि इन चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति हो जाने की स्थिति में उनकी मानदेय पर की गयी सेवाओं को सेवा संबंधी (वार्षिक वेतनवृद्धि एवं एस0ए0सी0पी0) एवं सेवा नैवृत्तिक (गेच्युटी आदि) लाभ हेतु नहीं जोड़ा जायेगा।

(7) अनुबन्ध की अवधि गुण–दोष एवं स्वस्थता प्रमाण–पत्र के आधार पर एक वर्ष के पश्चात अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकेगी।

3– साक्षात्कार **(Walk In Interview)** के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर चयन के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

(प्रशांत त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

.....5

संख्या–1858(1)/सेक–2–पॉच–17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला/पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2/3।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3।
12. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2।
13. चिकित्सा सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।